न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–263/2026
C.N.R.No.U.P.K.J.010005212026

1. सौरभ उर्फ विमलेश पुत्र अवधेश यादव

2. मनीष उर्फ भूरा पुत्र अवधेश यादव

निवासीगण ग्राम शाहनगर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 396/2025
अपराध सं0 92/2025
धारा–115(2) व 352 बी0एन0एस0
व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना इन्दरगढ़ व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

20.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सौरभ उर्फ विमलेश व मनीष उर्फ भूरा** की ओर से मु0अ0सं0 92/2025 धारा 115(2) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना इन्दरगढ़ व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी को नोटिस तामील है। वादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सौरभ उर्फ विमलेश आदि** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई घटना कारित नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई मोटिव नहीं है। उक्त मामले में घटनास्थल के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों को गवाह नहीं बनाया गया है। सभी चोटे साधारण प्रकृति की हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्हें गॉव की पार्टीबन्दी व चुनावी रंजिश के कारण फंसाया गया है। यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दाखिल कर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा चिरौंजीलाल ने इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 13.03.2025 समय करीब शाम 07:00 बजे वह अपने खेत पर मोनू व सर्वेन्द्र के साथ पानी लगा रहा था। उसी समय आंधी पानी आने के कारण रास्ते में विनीत की समर पर खडे हो गये। वहॉ पर सौरभ, ने उउससे धानुक कहकर जातिसूचक गालियॉ दी। तब हम लोग वहॉ से चले आये। दिनांक

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.20 17:23:46 IST
Reason: bail
Location: spl Judge Sc/St Act Kannauj

14.03.2025 को सुबह 06:00 बजे वह अपने गॉव की होली में आखत डालने गया था। वापस लौटते समय गॉव के बाहर सौरभ, मनीष उर्फ भूरा, सचिन व गुलसन ने एक राय होकर उसे जातिसूचक गालियॉ देते हुए लात–घूसों व लाठी–डण्डों से मारापीटा। शोरगुल सुनकर सर्वेन्द्र उसे बचाने आये तो उक्त लोगों ने उन्हें भी मारापीटा, जिससे हम लोगों के काफी चोटे आयी है। उसे एम्बूलेंस से सरकारी अस्पताल तिर्वा ले जाया गया, वहॉ से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

5. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 92/2025 धारा 115(2) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण सौरभ, मनीष उर्फ भूरा, सचिन व गुलसन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना मामले में अभियुक्तगण सौरभ, मनीष उर्फ भूरा, सचिन व गुलसन के विरूद्ध धारा 115(2) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष के लोगों को मारपीट कर साधारण चोटे पहुंचायी एवं प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौज की तथा यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। पत्रावली में मजरूब सर्वेन्द्र व वादी चिरौंजीलाल की आहत आख्या संलग्न है, जिसके अनुसार मजरूब सर्वेन्द्र के तीन चोटे पायी गयी है, जो साधारण प्रकृति की हैं। मजरूब/ वादी चिरौंजीलाल के तीन चोटे पायी गयी हैं, जिसमें चोट सं0 1 व 3 हेतु एक्सरे की सलाह दी गयी है तथा चोट सं0 2 को साधारण प्रकृति का बताया गया है। मजरूब/ वादी की चोट सं0 1 व 2 का एक्सरे एन0ए0डी0 पाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **सौरभ उर्फ विमलेश व मनीष उर्फ भूरा** की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा मु0 **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान धनराशि की **एक–एक प्रतिभू** दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O Code UP 1570